<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-11/2019/373/55-पर्या-2-19/12(पर्या0)/2018 टी0सी0</u>

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 08 अप्रैल, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुदान संख्या-45 के अंतर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-05/पर्या/लेखा-14/2019-20 दिनांक 02-04-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण विभाग के वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु अनुदान संख्या-45, "लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन" के "03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के अंतर्गत रू0 343.00 लाख, 04-क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत रू0 146.19 लाख तथा 06-मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्युनरेशन के अंतर्गत रू0 750.40 लाख एवं लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-800-अन्य व्यय-04-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवेल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट अससेसमेन्ट अॅथारिटी के मानक संख्या-42-अन्य व्यय के अंतर्गत रू0 25.00 लाख अर्थात कुल रू0 1264.59 लाख (रूपये बारह करोड़ चौंसठ लाख उनसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आय-व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित शर्तों के अधीन निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान संख्या-45 के अंतर्गत की गयी बजट व्यवस्था में से धनराशि रू0 1264.59 लाख (रूपये बारह करोड़ चौंसठ लाख उनसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार हैः-

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु की गई कुल बजट प्रावधान	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये स्वीकृत धनराशि
1		2
अनुदान संख्या-45		
3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण		
04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय		
01-वेतन	196.14	196.14
02-मजदूरी	12.00	12.00
03-मंहगाई भत्ता	29.42	29.42
04-यात्रा व्यय	3.25	3.25
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.75	0.75
06-अन्य भत्ते	0.04	0.04
07-मानदेय	0.20	0.20
08-कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09-विद्युत देय	12.00	12.00
10-जलकर/जल प्रभार	7.00	7.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00	1.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	1.50
13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद	3.25	3.25
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	8.60	8.60
18-प्रकाशन	1.00	1.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	0.30	0.30
29-अनुरक्षण	10.00	10.00
42-अन्य व्यय	2.00	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	1.00	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	1.00
49-चिकित्सा व्यय	2.20	2.20
51-वर्दी व्यय	0.20	0.20
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	13.15	13.15
55-मकान किराया भत्ता	20.00	20.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	6.00	6.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00
योग-03	343.00	343.00
04-क्षेत्रीय कार्यालय		
01-वेतन	85.13	85.13
02-मजदूरी	1.00	1.00
03-मंहगाई भत्ता	12.77	12.77
04-यात्रा व्यय	4.00	4.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.60	1.60
06-अन्य भत्ते	0.24	0.24
07-मानदेय	0.20	0.20
08-कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09-विद्युत देय	4.00	4.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद	1.70	1.70
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	10.00	10.00
18-प्रकाशन	0.50	0.50
42-अन्य व्यय	1.00	1.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.50	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50
49-चिकित्सा व्यय	1.20	1.20
51-वर्दी व्यय	0.10	0.10
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	6.00	6.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

55-मकान किराया भत्ता	9.06	9.06
56-नगर प्रतिकर भत्ता	1.19	1.19
योग-04	146.19	146.19
06-मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्युनरेशन		
08-कार्यालय व्यय	4.00	4.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.00	3.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00	50.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	3.00	3.00
42-अन्य व्यय	681.40	681.40
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	8.00	8.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	1.00
योग-06	750.40	750.40
3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 800-अन्य व्यय 04-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेटलेवल इन्वायमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अॅथारिटी		
42-अन्य व्यय	25.00	25.00
कुल योग रू0	1264.59	1264.59

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-45, लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन के 03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय, 04-क्षेत्रीय कार्यालय तथा 06-मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-800-अन्य व्यय-04-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट अससेसमेन्ट अथारिटी के मानक संख्या-42-अन्य व्यय के संगत मानक मदों से वहन किया जायेगा।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 11/2019/373(1)/55-पर्या-2-19/12(पर्या0)/2018 टी0सी0, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।